न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 30 / 2012 (उदयपुर डिक्री)

1. जगदीश पिता उदा जी डांगी, निवासी खेमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पुष्पा पुत्री उदा जी डांगी पत्नी भगवानलाल जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. उदा पिता नंगा जी डांगी, निवासी मकान नंबर 41, गायरियों का मोहल्ला, खेमपुरा, उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मणसिंह पिता खुमानसिंह जी राजपूत, निवासी 133, कोठारी मोहल्ला, आयड़, उदयपुर (राज.)
3. प्रतापसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. कुलदीप जैन पिता मूलचन्द जी जैन, निवासी 7, अरविन्द नगर, सुन्दरवास, उदयपुर (राज.)
5. स्वर्गीय रामा पिता नंगा जी डांगी के बजाय :–

   श्रीमती गणेशी पत्नी स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. सुश्री रीना पुत्री रामा जी डांगी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती गणेशी पत्नी स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. लोकेश पुत्र रामा जी डांगी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती गणेशी पत्नी स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. मृतक गमाना पिता दौला जी डांगी के बजाय :–

8/1. श्रीमती परथा बाई पत्नी स्वर्गीय गमाना जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8/2. केशुलाल पिता स्वर्गीय गमाना जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8/3. गोपाल डांगी पिता स्वर्गीय गमाना जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8/4. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुत्री स्वर्गीय गमाना जी पत्नी भगवानलाल जी डांगी, निवासी कानुपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8/5. श्रीमती भुरी बाई पुत्री स्वर्गीय गमाना जी पत्नी भगवानलाल जी डांगी, निवासी कलड़वास मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8/6. श्रीमती सोवनी बाई पुत्री स्वर्गीय गमाना जी पत्नी किशनलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

9. रूपा पिता झूमा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती डाडम देवी पत्नी नरेन्द्र जी नागदा, निवासी जय श्रीनाथ फार्म, बसन्त विहार रोड़, माली कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

11. आर्शन मोहले पिता अखिलेख कुमार मोहले, निवासी 131, पंचरत्न कॉम्पलेक्स, उदयपुर (राज.)

12. माना पिता गला जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13. श्रीमती देउ बाई पत्नी स्वर्गीय गला जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

14. मृतक रूपा पिता भीमा जी डांगी के बजाय :–

14/1. श्रीमती गंगा बाई पत्नी स्वर्गीय रूपा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

14/2. भग्गा पिता स्वर्गीय रूपा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

14/3. उमा शंकर पिता स्वर्गीय रूपा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

15. पेमा पिता दल्ला जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

16. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी शांन्तिलाल जी मारू, निवासी 13–14, मानबाग, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

17. शंभुलाल पिता काना जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

18. गोपाल पिता काना जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

19. प्रकाश पिता काना जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

20. मृतक रामा पिता उदा जी डांगी के बजाय :–

20/1. श्रीमती देउ बाई पत्नी स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

20/2. भैरा पिता स्वर्गीय रामा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

20/3. श्रीमती वरदी बाई पुत्री स्वर्गीय रामा जी पत्नी डालू जी डांगी, निवासी राह मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

20/4. श्रीमती नका बाई पुत्री स्वर्गीय रामा जी पत्नी गंगाराम जी डांगी, निवासी फेरनियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

20/5. श्रीमती कंकू बाई पुत्री स्वर्गीय रामा जी पत्नी गंगाराम जी डांगी, निवासी कलड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

21. मृतक रूपलाल पिता हीरा जी डांगी के बजाय :–

21/1. श्रीमती गोपी बाई पत्नी स्वर्गीय रूपलाल जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

21/2. बंशीलाल पिता स्वर्गीय रूपलाल जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

21/3. गणेशलाल पिता स्वर्गीय रूपलाल जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

21/4. श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी स्वर्गीय रूपलाल जी पत्नी रामा जी डांगी, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

22. चन्दा पिता हीरा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

23. स्वर्गीय श्रीमती उंकारी बाई पत्नी हीरा जी डांगी के बजाय :–

23/1. श्रीमती चन्द्री बाई पुत्री हीरा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 10.01.2012 प्र.सं. 110/07

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री शान्तिलाल पामेचा अभिभाषक रे.सं. 3, 4
3. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 16
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 24

———:::———

निर्णय दिनांक 14–11–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डांगियों की पंचोली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 10 रकबा 0.5500 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम जरनों की सराय में वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार कुल किता 4 रकबा 0.9000 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम जरनों की सराय में ही वाद पत्र की कलम संख्या 3 की कुल किता 5 रकबा 0.3850 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम जरनों की सराय में ही वाद पत्र की कलम संख्या 4 वर्णित आराजी नंबर 76 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम जरनों की सराय में ही वाद पत्र की कलम संख्या 5 की कुल किता 21 रकबा 3.6200 हैक्टर भूमि स्थित है।

उक्त आराजियात में पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार होकर कलम संख्या 1 वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 3/4 हिस्सा दर्ज है, जबकि उक्त भूमियां वादीगण की मौरूसी होकर उसके दादा नंगा जी की हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वादीगण का उक्त भूमियों में जन्म से अधिकार है। इस प्रकार उक्त भूमियों में प्रतिवादी के 1/4 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 के 3/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का हिस्सा व अधिकार है। वादीगण के दादा नंगा जी होकर उसके दो पुत्र उदा व रामा हुए। उदा के वारिस वादीगण तथा रामा के वारिस रीना व लोकेश प्रतिवादी संख्या 6 व 7 हैं। उदा व रामा जीवित होकर क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 व 5 हैं।

इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8, 9 व 10 के संयुक्त खातेदारी में अंकित है, जिसमें वादीगण के दादा नंगा जी का 1/6 हिस्सा दर्ज था, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के नाम पर विरासत से दर्ज कर उनके सम्पूर्ण हिस्से को नामान्तरकरण संख्या 488 दिनांक 05–07–2006 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है, जो किसी विक्रय के आधार पर दर्ज करना

बताया गया। उक्त भूमि वादीगण की मौरूसी होने से प्रतिवादी संख्या व 5 को विक्रय करने का अधिकार नहीं है एवं इस भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 प्रत्येक का 1/36 हिस्सा है।

इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 3, 4 व 5 वर्णित भूमियों के बारे में कथन करते हुए सारी भूमियां वादीगण की मौरूसी बताते हुए उनमें वादीगण का हिस्सा होना बताया तथा कथन किया कि भूमियों मौरूसी होकर नंगा जी के समय की होकर वादीगण का उक्त भूमियों में जन्म से अधिकार है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 से 23 रेकार्डेड खातेदार होने से उन्हें विभाजन के वाद में पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 24 तहसीलदार विभाजन के वाद में पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। अतएवं निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 से 5 में वर्णित उक्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में वादीगण प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर भूमियों का विधिवत विभाजन कराया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये सभी विक्रय पत्रों को वादीगण के मुकाबले शून्य घोषित किये जाने का भी निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में राजस्व रेकार्ड में जो अंकन है वह सही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। उक्त भूमियों वादीगण की मौरूसी नहीं हैं तथा वादीगण द्वारा गलत वंशावली प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 उदा द्वारा अपने परिवार की वैध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमियों का विक्रय किया गया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण उदा के बजाय प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में खोला गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 रामा ने भी अपने 1/2 हिस्से की भूमियों का विक्रय प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण उसके पक्ष में स्वीकृत हुआ है। विवादित भूमियों में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा कृषि भूमि के अलावा आवासीय मकान, भूखण्ड व अन्य कृषि भूमियों व चल अचल सम्पत्यिों को वादी में शामिल नहीं किया गया है, जिससे वाद चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रतापसिंह व गेहरीलाल जमीनों का व्यवसाय व दलाली का काम करते हैं। इन्होंने मेरे व मेरे भाई को हमारा 1/38 हिस्सा बिकवाने की इच्छा जाहिर की जमीन की। हमारा उक्त भूमि में 9 बिस्वा रकबा बनता है, जिसके इन्होंने रूपये दिये। रजिस्ट्री कराने के करीब 20 दिन बाद प्रतापसिंह व गेहरीलाल ने मुझसे कहा कि जो रजिस्ट्री करवायी है उसमें कुछ जगह हस्ताक्षर करने रह गये हैं इसलिए पुनः रजिस्ट्री आफिस ले जाकर स्टाम्प व कई सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये। अभी जनवरी 2007 में डूब की जमीनों का मुआवजा मिलने से मैं पटवारी के पास गया तो मुझे जानकारी हुई कि हमारी सारी जमीने बिक चुकी हैं।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 से 10 एवं 12 से 23 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 01–07–2010 को प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की :–

1. आया वाद की कलम संख्या 1 से 5 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जो 1/2 हिस्सा घोषित कर रखा है उसमें प्रत्येक वादीगण का 1/3 हिस्सा घोषित कराया जावे, क्योंकि वादीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति में जन्म से अधिकार निहित है ? ..... वादीगण
2. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 से 5 का हिस्सेनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कराया जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ? ..... वादीगण
3. आया वादी का वाद मियाद बाहर है इसलिए खारिज फरमाया जावे ? ..... प्रतिवादी संख्या 4
4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 10–01–2012 से वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम डांगियों की पंचोली के खाता संख्या 204 कुल किता 10 रकबा 0.5500 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित

किया तथा विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु सक्षम न्यायालय से दाद प्राप्त करने का आदेश दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–01–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–02–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री शान्तिलाल पामेचा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 की ओर से वकील श्री हर्षद जोशी उपस्थित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 24 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्षी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह था कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 से 5 वर्णित भूमियों मौरूसी हैं अथवा नहीं। अधिनस्थ न्यायालय ने भूमियां मौरूसी होना माना है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने भी भूमियां मौरूसी होना स्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल यह कहकर कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 से 5 में वर्णित जमीनों के सन्दर्भ में विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है इसलिए इस जमीन के सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष कानून के विपरीत है। वादीगण द्वारा इस सन्दर्भ में न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी थी, जिन पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है। विदित रहे कि मौरूसी सम्पत्ति में एक हिस्सेदार द्वारा केवल अपना हिस्सा ही विक्रय किया जा सकता है, अन्य हिस्सेदारों के हिस्से को विक्रय करने का उसे अधिकार नहीं है। यदि उसके द्वारा सारी भूमियों

का विक्रय किया जाता है तो तो उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होता है एवं ऐसे विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट/वादीगण जो कि उदा के वारिस हैं, वे यह कहकर आते हैं कि भूमियां मौरूसी होकर उसके दादा नंगा जी के समय से चली आ रही हैं इसलिए उनका उक्त भूमियों में जन्म से अधिकार है। तद्नुसार उनके पिता उदा द्वारा जो विक्रय किये गये हैं वे विधिक नहीं हैं तथा उनका अपने पिता के साथ भूमियों में समान अधिकार है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो 4 तनकियात कायम की गयी हैं, उनके सन्दर्भ में तनकी नंबर 1 व 2 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ किया गया है। वस्तुतः प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तनकी नंबर 1 है, जिसमें यह निर्धारित किया जाना है कि प्रतिवादी संख्या 1 उदा के नाम दर्ज भूमियां उसे उसके पिता नंगा से प्राप्त हुई हैं, उसमें उदा के साथ वादीगण प्रत्येक का भी 1/3 हिस्सा है। प्रकरण में हम सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1984 पेज 851 इस प्रकरण से सुसंगत है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 व 2 की संयुक्त फाईन्डिंग में वादीगण का अधिकार सिर्फ इस आधार पर नहीं माना है कि भूमियों का विक्रय हो चुका है तथा भूमियों को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। वहीं अधिनस्थ न्यायालय ने भूमियों में उदा जी के जीवनकाल में वादीगण का भी अधिकार मान लिया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यदि भूमियों में वादीगण का जन्म से अधिकार माना है तो ऐसे विक्रय पत्र को विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही विधि शून्य होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर कोई फाईडिंग नहीं दी गयी हैं कि क्या वादीगण का उक्त भूमि में जन्म से विधि अनुसार अधिकार है अथवा नहीं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल बिन्दु कि क्या उदा जी को विरासत से प्राप्त उक्त भूमियों में वादीगण का जन्म से अधिकार है अथवा

नहीं, इस बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है, जो नहीं कर उदा जी के नाम रही भूमियों में वादीगण को तो अधिकार दे दिया है, परन्तु जो भूमियां उदा जी द्वारा विक्रय कर दी गयी हैं, उन्हें इस आधार पर नहीं माना है कि उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की उक्त फाईन्डिंग विचित्र है। अधिनस्थ न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथा विधि के आलोक में यह विनिश्चियन करना था, जो हमारे द्वारा उपर किया गया है। तद्नुसार उक्त नजीर इस प्रकरण से सुसंगत है तथा अपीलान्ट/वादीगण की फाईन्डिंग की पुष्टि करती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 474 इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है, क्योंकि यह इस बिन्दु पर अवलंबित है कि वादीगण के भार सिद्ध तथ्यों का खण्डन नहीं होने के कारण उसे स्वीकृत माना जाये। हम उक्त न्यायिक नजीर का सम्मान करते हैं कि वादीगण जिसे अपने वाद को स्वयं साबित करवाना था, उसका भार वह रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण पर नहीं डाल सकता है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर एस.सी.सी. 2017 सुप्रिम कोर्ट पेज 268 पेश की है, जिसमें पैत्रृक सम्पत्ति में पुत्र का पिता के जीवनकाल से ही अधिकार होना माना गया है। उक्त समस्त नजीरों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। प्रकरण में यह विचारणीय बिन्दु है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 जो कोपार्सनरी सम्पत्ति से संबंधित है में पिता के जीवनकाल में पुत्र का अधिकार माना गया है तथा धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पिता की सम्पत्ति में सिर्फ पुत्र का अधिकार माना गया है, पौत्र का अधिकार नहीं माना गया है। इस बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है।

इसके विपरीत इस न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. ए.आई.आर. 1986 सुप्रिम कोर्ट पेज 1753 पैरा 19, 20, 21, 22
2. ए.आई.आर. 1987 सुप्रिम कोर्ट पेज 558 पैरा 10
3. डब्ल्यू.एल.सी. 2007 (1) पेज 157 पैरा 3, 6, 19, 20, 21, 22, 23

उपरोक्त न्यायिक नजीरें हमारे द्वारा इस प्रकरण में उठाये गये सन्दर्भ में उनकी विवेचना किया जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में मौलिक बिन्दु यह है कि दादा की सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में पौत्रों का हिस्सा होता है अथवा नहीं तथा भूमियां मौरूसी/कोपार्सनरी है अथवा नहीं। प्रकरण में यदि भूमियां कोपार्सनरी की पायी जाती हैं तो निसंदेह पिता के जीवनकाल में उनके पुत्रों का हिस्सा बनता है, परन्तु यदि भूमियां धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता को प्राप्त हुई हैं तो उक्त भूमियों में पिता के जीवनकाल में पुत्रों यानि पौत्रों का कोई अधिकार नहीं होता है। यह बिन्दु इस प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकी नंबर 1 के सन्दर्भ में इन विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं पर बिना विवेचन किये निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि पूर्ण हैं। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरफ तो उदा के नाम दर्ज भूमियों में वादीगण का हिस्सा माना है वहीं दूसरी तरफ उसके द्वारा विक्रय की गयी भूमियों में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना है, जो आपस में विरोधाभाषी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–01–2012 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपर किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए तनकी नंबर 1 का तथ्यों, रेकार्ड एवं विधि के आलोक में निर्णय पारित करें एवं इसके अनुक्रम में ही अन्य तनकियों पर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–01–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भैरा के बजाय भग्गा पिता भैरा डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**91 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**04**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**....माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र सोनी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री पंकज भटनागर.....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2013 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।